

24/8/18

पत्रावली पेश हुई. बकुलाम फारकन ३५./
अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य
कार्य में व्यस्त पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 16/11/18 को पेश हो

16/11/18

पत्रावली पेश हुई. बकुलाम फारकन ३५./
अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य
कार्य में व्यस्त पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 11/11/18 को पेश हो

11/11/19

पत्रावली पेश हुई. बकुलाम फारकन ३५./
अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य
कार्य में व्यस्त पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 14/3/18 को पेश हो

14/3/19

पत्रावली पेश हुई. बकुलाम फारकन ३५./
अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य
कार्य में व्यस्त पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 9/5/18 को पेश हो

9/5/19

पत्रावली पेश हुई. बकुलाम फारकन ३५./
अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य
कार्य में व्यस्त पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 10/7/19 को पेश हो

10/7/19

पत्रावली पेश हुई. बकुलाम फारकन ३५./
अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य
कार्य में व्यस्त पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 14/8/19 को पेश हो

14/8/19

पत्रावली पेश हुई. बकुलाम फारकन ३५./
अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य
कार्य में व्यस्त पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 10/10/19 को पेश हो

10/10/19

पत्रावली पेश हुई. बकुलाम फारकन ३५./
अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य
कार्य में व्यस्त पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 20/11/19 को पेश हो

20/11/19

पत्रावली पेश हुई. बकुलाम फारकन ३५./
अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य
कार्य में व्यस्त पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 26/12/19 को पेश हो

26/12/19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रावर्ग
एडिटर। पत्रावली का अवलोकन किया
गया। प्रावर्ग वकील/वादी वकील में अपनी
द्वारा

प्राथमिक वाद दायरी में अंगित किया है कि
वादीगण कोले-माले ग्रामिण परिवेष्ट व कर्मी
हैं तथा वादीगण अपने हुकूम की पेशगी के
लिए अपने कसीम पर पूर्णतया निर्भर रहे
तथा कसीम वादीगण दिनांक 8.8.2012 को
श्रीमधौपुर में अन्य न्यायालय में मुकदमों में
पेशगी में व्यस्त रहने के कारण न्यायालय में
हाजिर भदामत नहीं आ सका जिससे कि उक्त
वाद एक अदम पेशगी अदम हादरी में खारीज
हो गया जिससे जानकारी वादीगण को
कतरी नहीं रही है अतः प्राथमिक का प्राथमिक
वाद दायरी खीराल फरामा आये

हस्ताक्षर प्राथमिक का अवलोकन से व शक व संकल्पना
हाजिर आया कि मूल वाद में दिनांक 8/8/12
को बार-बार आवाज दिमाने के कारण
वादीगण व वादीगण अधिकता को ई हाजिर
नहीं आया इसलिए मूल वाद अदम पेशगी
अदम हादरी में खारीज किया गया है
तथा दिनांक 8/8/12 को मूल वाद खारीज हो
जाने बाद करीब 6 वर्ष बाद दिनांक 25/11/18
को प्राथमिक वाद दायरी पेश किया गया
है 6 वर्ष के अन्तराल में मूल वाद हेतु वाद दायरी
पेश नहीं किया जाने से साफ सादर आदित होता
है कि उक्त समय में वादीगण को उक्त वाद
की आवश्यकता महसूस नहीं हुई है जब
आवश्यकता महसूस हुई हो वाद दायरी प्राथमिक

(Signature)

तारीख बुक

बुक या कार्यवाही नाम सपुहनाकर जय

लेकर आये हैं जो मान्य गरी हैं। मित्रा
कादर होने से स्वीकार प्रोग्राम पापा
पर प्राथमिक पठ वापस आयी खासियत
जाता है परन्तु केवल कुमार को
नाम है कि जो काद लकीम डाकिया
दस्ता है।



26.12.19
रजनीत सिंह
B.A.S
उपसंचालक अधिकारी
कण्डेगा (सीकर)